तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

1955 पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रक़रण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 09.01.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

09.01.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना (राज.)
पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 121 / 2023
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2013 / 1166
दायर दिनांक :– 09.10.2023
निर्णय दिनांक :– 09.01.2024

उनवान प्रकरण

1. हणमान पुत्र गीगाराम आयु 65 वर्ष
2. ग्यारसीलाल पुत्र गीगाराम आयु 62 वर्ष
3. कालूराम पुत्र गीगाराम आयु 57 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी बावड़ी तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीमकाथाना (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

उपस्थितिः–

1. श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक –प्रार्थीगण की ओर से ।
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

-:: निर्णय ::-

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0) के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित भूमि में काश्त कार्य करने हेतु आने जाने व रास्ते के लिए खसरा नम्बर 693 जो रोड शाहपुरा से नीमकाथाना जाने वाली सड़क से होते हुये खसरा नम्बर 694 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि में काबिज काश्त है परन्तु उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु उक्त रास्ता से अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु उक्त लघुतम रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये उक्त रास्ते का नजरी नक्शा संलग्न है। राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत समस्त पूर्तिया करने को तैयार हैं यथा उक्त रास्ते आने वाली भूमि के रकबे के बराबर अपनी भूमियों मे से भूमि देकर अपनी खातेदारी समर्पण करते हुये मंदिर श्री बालाजी की भूमि खसरा नम्बर 694 के समानान्तर (पेरेलर) ही भूमि अपनी खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बर 681, 682 मे से देने को तैयार व तत्पर हैं। प्रार्थीगण को रास्ते के अभाव से सख्त हकतल्फी हैं। प्रार्थीगण का आना जाना दूभर हो रहा हैं। प्रार्थीगण अपने भूमियों मे बने रिहायशी मकानों मे केद होकर रह गये हैं। प्रार्थीगण ने पूर्व मे एक वाद अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीएक्ट खसरा नम्बर 688 की उत्तरी सीमा पर रास्ते की मांग करी थी जो स्वीकार हो गया था परन्तु उक्त भूमि के खातेदार सहमत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता नही मिल सका है। इसी कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की पालना करने को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तैयार है। चूंकि भूमि खसरा नम्बर 694 की खातेदारी मंदिर श्री बालाजी के नाम दर्ज है जिसका टेकर एण्ड केयर तहसीलदार श्रीमाधोपुर होने से भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0) में आवागमन के लिये मंदिर श्री बालाजी के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 694 तन् ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0) की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता पूर्वी–पश्चिमी नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाया जावे जाकर मौके पर रास्ते की आमद रफत चालू कराया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर से जॉच रिपोर्ट चाही जाने बाबत इस न्यायालय के जरिये पत्रांक 537/रीडर/2023 दिनांक 25.10.2023 के द्वारा लिखा गया। जिस पर भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर से दिनांक 14.11.2023 को जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भू. अभिलेख निरीक्षक रायपुर जागीर व पटवारी हल्का रायपुर जागीर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया कि राजस्व ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा संख्या 679, 680, 681, 682, 683 में आवागमन के पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है एंव ना ही अन्य कोई चालू रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम है जो ग्राम रायपुर जागीर में शाहपुरा नीमकाथाना डामर सड़क से लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया खसरा नम्बर 694 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चाही 2 में से 4 मीटर चौड़ाई में है। खसरा नम्बर 694 वर्तमान में मन्दिर श्री बालाजी वाके देह हि0 पूर्ण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा संख्या 694 में से प्रार्थीगणों की निजी आराजीयात में पहुँच हेतु 35 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल के बदले में प्रार्थीगणों द्वारा अपनी निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म चाही 2 में से उक्त रास्ते की भूमि के बदले भूमि दिये जाने हेतु सहमति दी गई है। उक्त रास्ते के बदले दिये जाने वाली भूमि को नक्शा ट्रेस में भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर द्वारा लाल स्याही से दर्शाया गया है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर [illegible] तथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का रायपुर [illegible] निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर की मौका जॉच रिपोर्ट म[illegible] नजरी नक्शा इत्यादि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 में आवागमन के पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 694 में से 35 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल में से होकर 12 फुट का गैर मुमकिन रास्ता जो अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम होने तथा उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त रास्ता दिलवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर की रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण को अपने भूमि खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 694 में से 35 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल में से होकर 12 फुट का गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कटानी रास्ते से सबसे निकटतम व अत्यन्त लघुत्तम होने तथा उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रकट होता है। उक्त रास्ते के काम आने वाली 140 वर्गमीटर भूमि के बदले में भूमि दिये जाने हेतु प्रार्थीगण के द्वारा सहमति दिया जाना भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त रायपुर जागीर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता लिये जाने हेतु अवगत कराया गया। उक्त दिये जाने वाले रास्ते को भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर द्वारा नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के द्वारा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 12 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

09/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आवादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि के बदले भूमि (जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया गया है) दिये जाने की शर्त पर नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। जमीन के बदले जमीन दिये जाने पर उक्त दी जाने वाली भूमियों की खातेदारी मन्दिर श्री बालाजी वाके देह हि0 पूर्ण के नाम दर्ज करने के (चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आती है जिसके सम्पूर्ण केयर टेकर का दायित्व तहसीलदार का होता है) उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपयुक्त विवेचन अ[illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 में आवागमन

Rathore
03/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हेतु भूमि खसरा नम्बर 694 में से 35 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई अर्थात 140 वर्गमीटर अर्थात 0.0140 हैक्टर क्षेत्रफल में से होकर 12 फुट का गैर मुमकिन रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की खातेदारी मन्दिर श्री बालाजी वाके देह हि0 पूर्ण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड (चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आती है जिसके सम्पूर्ण केयर टेकर का दायित्व तहसीलदार का होता है) जमाबन्दी की जावें तथा उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे तथा रास्ते के काम में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि जिसे भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत्त– रायपुर जागीर द्वारा प्रस्तावित मौका जॉच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को संशोधित करते हुए खातेदारी मन्दिर श्री बालाजी वाके देह हि0 पूर्ण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

09/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:32:56 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक ... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/01/24
दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)